



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 AA 502321

प्रारूप-28  
(नियम-4क देखिए)

20-00 रुपये के स्टाम्प  
पेपर पर मोहर से सत्यापित



18- आगरा (अजमेर) संसदीय (उप-प्र) निर्वाचन क्षेत्र का नाम

लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए निर्दिष्ट अधिकार के समक्ष अर्पण  
द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सत्यापन

भाग-क

मैं श्री राम शंकर पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री श्री लाल अनु-  
यायक जो 1, टी.पी. रोड, मि. इ. वि. प्र. वि. प्र. लाल परिसर, बनारसी, आगरा  
का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उक्त निर्वाचन से अर्पण हूँ सत्यापित से प्रतिष्ठा  
करता हूँ/करती हूँ। सत्य पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं श्री श्री लाल शंकर (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया  
अर्पण

\*\*एक सत्यापन अर्पण के रूप में सक्षम है।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)

S/502/18

(2) मेरा नाम श्री आगरा उप-प्र, उप-प्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में  
भाग सं- 167 के रूप में 1 पर प्रविष्ट है।



(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 0564-2627933 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)  
आ. नं. 056427 0000 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)  
आ. नं. 056427 0000 है/हैं।

*(Handwritten signature)*

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथिति

क्र. सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरण में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं दुर्गाशंकर	ANQPS0035E	2014 - 15	17,14,362
2	पति-स पत्नी अ. नृ. दु. ला	CBSP38754E	2013 - 14	2,28,000
3	आश्रित-शिवम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आश्रित-2 दिव्यांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आश्रित-3 कु. साही	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अनियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।  
लागू नहीं

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अनियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी :-  
लागू नहीं

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	ममला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है।	लागू नहीं

S/502/14



*(Signature)*

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पूर्वोक्त मद (1) में वर्णित मामलों से भिन्न :-

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	जिनसे "संलग्नक-ए" में उल्लेख है।
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	उपरोक्त
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	उपरोक्त

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ~~ब्रह्मसमा गन्ना है/नहीं~~ ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश ~~ब्रह्मसमा गन्ना है/ नहीं~~ दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

लागू नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

लागू नहीं

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरक्षित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	लागू नहीं

3/5/2014

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियाँ (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ



*(Signature)*

(विवरण मुकदमा जिनकी जानकारी है व न्यायालय द्वारा आरोप विरचित नहीं किया गया है)

3A

क्र०	अ०सं०	मु० नं०	पक्षकारों के नाम	धारा	थाना	न्यायालय का नाम	अपराध का संक्षिप्त विवरण	संबान की तारीख	मुकदमे की स्थिति
1	191/2009	294/10	राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	147, 341 आईपीसी	नाई की मण्डी	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सतम् आगरा	दिनांक 14.10.2009 को 11.45 बजे 50-60 व्यक्तियों के साथ डाकरान चौरोहे पर अबरोध लगाकर जाम लगाना व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना	18.05.10	उपस्थिति हेतु
2	786/09	1564/11	राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	342, 332, 353 आईपीसी	ताजगंज	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम् आगरा	वादी मुख्य स्वच्छता एवं सघ निरीक्षक को 30-35 व्यक्तियों के साथ नाला नवादा से जाकर, नाला साफ करने हेतु बाध्य कर, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना	01.11.11	
3	117/10	7237/10	राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	147, 148, 342, 323 आईपीसी एवं 7 क्रि.लॉ. अन्वैड. एक्ट	हरीपर्वत	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आगरा			वाद निर्णित अभियोजन वापस लिया गया
4	321/10	4487/10	राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी	हरीपर्वत	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आगरा	कूटरचित अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रवक्ता पद प्राप्त करना		
5	793/10	9941/10	राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	420, 506, 201 आईपीसी	हरीपर्वत	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आगरा			वाद निर्णित अभियोजन वापस लिया गया
6	3/11	513/13	राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	147, 323, 353, 504, 506, 332 आईपीसी	एल्मादपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा	50-60 व्यक्तियों के साथ विद्युत उपखण्ड कार्यालय, एल्मादपुर पर प्रदर्शन के दौरान विद्युत कर्मचारियों के कार्य में बाधा। रिपोर्ट द्वारा प्रभारी, अवर अभियंता, विद्युत विभाग	05.07.11	निगरानी लम्बित

03/4/14 5/502/14

(Signature)

8	10/11	निगरानी सं0 106/14	रामशंकर आदि	506, आईपीसी	न्यायाधीश, आगरा	20-00 व्याप्तता 50 साथ विदुल उपलब्ध कार्यालय, एम्पावर पर प्रदर्शन के दौरान विदुल कर्मचारियों के कार्य में बाधा। रिपोर्ट द्वारा प्रभारी, थाना - एम्पावर	05.07.11	निगरानी लांबित
9	11/2011	राज्य बनाम डॉ0 रामशंकर आदि	147, 336, 342, आईपीसी	नाई की मण्डी	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सप्तम् आगरा	100 वाहनों एवं 2000 कार्यकर्ताओं के साथ रैली के दौरान एम.जी.रोड की यातायात व्यवस्था को भंग कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना	21.02.11	उपस्थिति हेतु
10	12/2011	राज्य बनाम डॉ0 रामशंकर आदि	147, 427, आईपीसी	नाई की मण्डी	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सप्तम् आगरा	28.01.2011 को 16.30 बजे क्लेक्ट्रेट गेट आगरा पर विधिविरुद्ध मजमा व बलाप्रयोग, मारपीट करना		आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ है
11	440/11	राज्य बनाम डॉ0 रामशंकर आदि	147, 332, 341, 353 आईपीसी	नाई की मण्डी	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सप्तम् आगरा			आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ है
12	1191/10	राज्य बनाम डॉ0 रामशंकर आदि	332, 353, 336, 427, 147 आईपीसी	शाहराज	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ आगरा		01.10.12	उपस्थिति हेतु
13	261/12	राज्य बनाम डॉ0 रामशंकर आदि	147, 323 आईपीसी	हरीपर्वत	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आगरा			आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ है
14	34/13	राज्य बनाम डॉ0 रामशंकर आदि	147, 452, 504, 506 आईपीसी	हरीपर्वत	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आगरा	500 कार्यकर्ताओं के साथ अतिक्रमण के विरोध में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना	01.10.12	उपस्थिति हेतु
			147, 353, 283, आईपीसी व 174 रेलवे एक्ट व 7 क्रि. लॉ. अमेंड. एक्ट	जीआरपी आगरा छावनी	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रेलवे, आगरा	200 व्यक्तियों के साथ राजकीय कार्य में बाधा कर, रेलवे ट्रैक बाधित करना, रिपोर्ट द्वारा चौकी प्रभारी - राजमण्डी	22.08.13	उपस्थिति हेतु



S/502/14

16	36/13	7755/13	राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	147, 353, 283, आईपीसी व 174 रेलवे एक्ट	जीआरपी आगरा छावनी	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रेलवे, आगरा	200 व्यक्तियों के साथ राजकीय कार्य में बाधा कर, रेलवे ट्रैक बाधित करना, रिपोर्ट द्वारा स्टेशन मास्टर, राजा की मण्डी	22.08.13	उपस्थिति हेतु
17	35/09 5182/09	268/2010	राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	146, 147, 174 रेलवे एक्ट	आरपीएफ आगरा छावनी	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रेलवे, आगरा	200 व्यक्तियों के साथ राजकीय कार्य में बाधा कर, रेलवे ट्रैक बाधित करना, रिपोर्ट द्वारा आई. आरपीएफ, राजा की मण्डी, आगरा	25.02.10	उपस्थिति हेतु
18	183/11, 12, 09		राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	188 आईपीसी	पार्लियामेंट स्ट्रीट		200-250 कार्यकर्ताओं के साथ संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन के दौरान 144 व.प्र.सं. का उल्लंघन		
19	142/12		राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	188 आईपीसी	हरीपर्वत	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आगरा			आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ
20	478/10		राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	188 आईपीसी	हरीपर्वत	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आगरा			आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ
21	61/10		राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	147, 148, 149, 307,504 आईपीसी	सदर	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, आगरा			आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ
22	62/10		राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	147, 341, 335,353, 153 ए.आईपीसी	सदर	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, आगरा			आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ
23	598/11	207/2012	राज्य बनाम डॉ० रामशंकर आदि	188 आईपीसी	हरीपर्वत	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आगरा	30.06.2011 को प्रातः 10 बजे बिना अनुमति के स्पीड ब्रेकर लैब, संजय प्लेस पर धरना प्रदर्शन करना	12.01.13	उपस्थिति हेतु

7/502/14  
8/2/14/016



(vii)	जेथरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	दस्तावेज नंबर - 503 मूल्य - 1,50,000-	दस्तावेज नंबर - 275 मूल्य - 5,00,000- दस्तावेज नंबर - 503 मूल्य - 847000-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्थियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	दस्तावेज नंबर - 503	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	2,39,253	5,94,700	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) स्थावर आस्थियों के ब्यारे

टिप्पण 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्थियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस आरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	दस्तावेज नंबर - 503 मूल्य - 1,50,000-	दस्तावेज नंबर - 275 मूल्य - 5,00,000- दस्तावेज नंबर - 503 मूल्य - 847000-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2 एकड़	3 अनामकान्त मालकी में है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	उपरोक्त दस्तावेज नंबर - 503 में अंकित है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	उपरोक्त दस्तावेज नंबर - 503 में अंकित है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5/522/14



*Handwritten signature*



{ विवरण स्थावर आस्थिया क्रम संख्या (1) }

क्र०	मूखानी का नाम	आराजी का विवरण	मौजा	तहसील	जनपद	क्रय की तिथि	मूल्य	विकास का व्यय
1	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० 4 घ, 21 छ व 22 का क्षेत्रफल 3.6240 हे० का 1/3 भाग यानि 1.2080 हे० यानि 2.98 एकड़	समोगर	सदर	आगरा	01.02.10	₹ 10,00,000/-	शून्य
2	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० - 21 ज क्षेत्रफल 0.2990 हे० यानि 0.738 एकड़	समोगर	सदर	आगरा	01.02.10	₹ 1,25,000/-	शून्य
3	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० 618/2 क्षेत्रफल 0.922 हे० यानि 2.27 एकड़	रहनकलां	एल्मादपुर	आगरा	30.09.09	₹ 8,00,000/-	शून्य
4	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० 897 क्षेत्रफल 0.691 क. 1/4 भाग यानि 0.1727 हे० यानि 0.426 एकड़	कुबेरपुर	एल्मादपुर	आगरा	23.10.09	₹ 4,00,000/-	शून्य
5	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० 821 मि० क्षेत्रफल 0.230 का 1/5 भाग, खसरा सं० 1217 मि० क्षेत्रफल 0.922 से 0.299 हे० यानि 0.738 एकड़	रहनकलां	एल्मादपुर	आगरा	03.01.11	₹ 3,00,000/-	शून्य
6	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० 15 क्षेत्रफल 0.529 हे० 17/60 भाग यानि 0.1498 यानि 0.370 एकड़	गदपुरा	एल्मादपुर	आगरा	03.01.11	₹ 1,20,000/-	शून्य
7	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० 345 व खसरा सं० 1029 ख क्षेत्रफल 0.438 यानि 1.08 एकड़	रायपुर	एल्मादपुर	आगरा	06.10.11	₹ 3,90,000/-	शून्य
8	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० 1024 क्षेत्रफल 530 हे० यानि 1.30 एकड़	रायपुर	एल्मादपुर	आगरा	03.03.11	₹ 4,30,000/-	शून्य
9	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० 598/0.138, 599/0.173, 600/0.127, 601/1.509, 606/0.876, क्षेत्रफल 2.823 हे० का 0.4600 हे० यानि 1.13 एकड़	पोइया	एल्मादपुर	आगरा	09.02.11	₹ 10,00,000/-	शून्य
10	श्रीमती मुदुला	खसरा सं० 598/0.138, 599/0.173, 600/0.127, 601 मि/1.509, 606/0.876, क्षेत्रफल 2.823 हे० का 0.4600 हे० यानि 1.13 एकड़	पोइया	एल्मादपुर	आगरा	09.12.11	₹ 10,00,000/-	शून्य
		कुल - 12.16 एकड़						

03/14/14 5/522/14

(Signature)

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित धालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नया विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित धालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	① 2014-2015 का मुद्रा दर का विचार करके 2014-71126 का नंबर का 11/12/2014 का नंबर का	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	① 4500 वर्गफुट ② 861 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	③ 3000 वर्गफुट ④ 652 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नया विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	⑤ हाँ ⑥ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	26-09-2014	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

S/522/14



*(Signature)*

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	उपरोक्त क्र. 1-2 जी.एच.ए. क्र. 13/2014	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	① शून्य ② क्र. 6/2014	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	① 2,50,00,000/- ② 27,50,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार कीमत	₹ 27,50,00,000/- ₹ 75,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ -  
(टिप्पणी : कृपया बैंक संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	उपरोक्त क्र. 2 में विवरण आश्रित से अर्बन मूल्य क्र. 18,20,00,000/- अर्बन मूल्य क्र. 22,15,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	₹ 4,035,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आगम से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

S/502/14



*(Signature)*

	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंशविलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-

- (क) स्वयं उपान्यास (रीटर्) के अंश और डा० जीमराज अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा  
 (ख) पति या पत्नी निजी से नमै

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

- हाईस्कूल - वर्ष 1980 - यू.पी. बोर्ड इलाहाबाद  
 इंटरमीडिएट - वर्ष 1982 - यू.पी. बोर्ड इलाहाबाद  
 स्नातक - वर्ष 1985 - कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर  
 स्नातकोत्तर - वर्ष 1988 - कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर  
 शोध (पीएचडी) वर्ष 1993 - कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और संवत् वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया था, का ब्यौरा दें)



*(Signature)*

## भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) में दिए गए व्यौरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुल आ० रामशंकर		
2	डाक का पूरा पता	1, टीचर्स होम, विश्वविद्यालय परिसर शक्यारी, आगरा - 282002		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	18 - आगरा (ब्रजजान) संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतन्त्र' लिखें)	भारतीय जनता पार्टी		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किए गए हैं।	लागू नहीं		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	14		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं		
7	का स्थायी सेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	ANQP80035E	2014-15	₹ 17,14,362
	(ख) पति या पत्नी	CBSP58734E	2013-14	₹ 2,28,000
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2/5/2014



(2/5/2014)

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	₹. 39,35,321	₹. 9,49,554	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	स्थावर आस्तियां	₹. 22,50,000	₹. 7,50,000	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹. 13,00,000	₹. 5,56,500	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	क्रय के परचातु स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	₹. 6,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹. 2,00,000	₹. 7,50,000	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	₹. 19,00,000	₹. 5,56,500	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	₹. 2,50,000	शून्य			
9. दायित्व						
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹. 40,35,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5/52/14



*(Handwritten signature)*

11	<p>उच्चतम शैक्षिक अर्हता</p> <p>शोध ( पीएच.डी.) - वर्ष 1993 - ज्ञानपुर विश्व-विभासय ज्ञानपुर</p> <p>(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौर दें।)</p>
----	---

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारोख 03-04-2014 को सत्यापित किया गया।

*(Signature)*  
अभिसाक्षी

- टिप्पणी-1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी-2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पणी-3 सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी-4 शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



31502/14

*(Signature)*  
Dr. Ram Shankar

Identified  
Dr. Ram Shankar  
Pimpri  
3/4/14

314/14

Collectible - A  
Shri Shyam Sunder Sharma  
A2

*(Signature)*